

Sh. Babu
9/11/10

श्री/स. मो. 21
कुम्हार
11/10

सेवा में,

मुख्य जन सूचना पदाधिकारी
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ
इंडिया लिमिटेड
प्लॉट नं-2, सेक्टर-29, गुडगाँवा
हरियाणा-122001

विषय :- R.T.I Rules 2005 के तहत जानकारी के संबंध में,

महाशय

निवेदन है कि R.T.I Rules 2005

के तहत मुझे निम्न जानकारी देने की कृपा करें।

- (1) पावर ग्रिड के अधिन बनने वाले जितने Switch-
-yards हैं, को बनाने वाले Contractors / Sub-Contractors
किस Labour Act का पालन करते हैं।
- (2) Labour Act के अनुसार Labour को क्या-क्या
सुविधाएँ दी जाती हैं।
- (3) आपके यहाँ कार्यरत कई Sub-Contractors सैकड़ों
Labour का मजदूरी APRIL 2012 से नहीं दिए
हैं, तो क्या Principal employer होने के नाते
आपका क्या फर्ज है।
- (4) The Contract Labour, Central Rules
1971 के अनुसार कायस्थल के बजाल

मे construction and maintenance of ②
Creches कराना है तो क्या आपके द्वारा
निम्न Site :-

(i) Gaya - 220, KV, 765KV, 400KV

(ii) Bhivani - 220KV, 765KV, 400KV

(iii) Fatehpur-(U.P) - 220KV, 765KV, 400KV

(iv) Sasaram - 220KV, 132KV, 765, 400KV

(v) Meeruth (Dowdala) - 765KV etc.

(vi) Chaibasha - 400KV etc.

पर व्यवस्था कि गई है

या नहीं,

⑤ आपके यहाँ कार्रगत Sub-Contractor
सिमित कार्य-बल, सिमित मशिनरी एवं अन्य
संसाधनों के द्वारा कार्य करते हैं, तो एक
Sub-Contractor उसी सिमित संसाधनों
के द्वारा एक साथ कितनों जगह पर कार्य
कर सकता है,

(6) आपके यहाँ बनने वाले Switch-yard जो
चालु हालत में है या charge Area है और
वहाँ आज भी Civil work हो रहा है
तो वहाँ हर समय खतरा रहता है, और

Sub-contractors द्वारा आज भी कार्य कराया जा रहा है, तो कोई भी खतरा या दुर्घटना हो सकता है, तो मुझे जानकारी देने की कृपा करें कि विद्युत-प्रवाह क्षेत्र में बिना विद्युत-प्रवाह किये बंद हुए क्यों कार्य कराया जा रहा है और उससे होने वाले घटनाओं का जिम्मेवार कौन होगा।

(7) आपके यहाँ कार्यरत एक Sub-contractor अपने सिमित संसाधनों को लगभग सभी जगह दिखाते हुए वर्तमान में,

(i) Gurgaon (ii) Fateh pur (iii) Sasaram (iv) Bhiwani
(v) Meeruth ये सभी Power Grid एवं

(i) Mukundpur (ii) Jahangirpuri (iii) INA
(iv) Kalkaji ये सभी Delhi में DMRC
का 66 KV Sub station एवं (i) Anuppur (M.P.)
Masrabeer का कार्य कर रहा है, तो

मैं जानना चाहता हूँ, उतने ही संसाधन के बल पर एक साथ कोई जैसे कार्य का सकता है एक समय में।

(8) आपके यहाँ कार्यरत एक Sub-Contractor जो हर Site पर नया-नया Labour लाता है एवं पुराने वालों को पैसा नहीं देता है तो Kerala High Court के Contractor Refuse to pay ~~Section 21(4)~~ [Section 21(4)] of the Act. Case of Benami Zinc Ltd (1989 LLR 123) के अनुसार सभी Labour का पैसा आपको देना चाहिए तो क्या आप पैसा देंगे।

अतः श्री मान से निवेदन है

कि आप मुझे उपयुक्त विधियों पर जानकारी देने की कृपा करें

कुल पृष्ठ - 04
(धातु)

संलग्न:-

10 फ़ॉ मुल्य
का IPO

NO-

HF-072006

दिनांक
7/10/18

आपका

उपेन्द्र कुमार सिंह

Co-Active the Group of
Educational & Social
Welfare Sansthan

At+Po- Kolhuan

VIA- DARDUNDA

DIST- SIWAN

BIHAR, mob NO-
9162618808

PIN NO-(841233)